

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम -1970 एवं उक्त नियमों में प्रसारित संशोधित नियमों के अन्तर्गत श्रीमती अनीता सुथार, व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि नोहर, हनुमानगढ को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नोहर, हनुमानगढ की अभिशंषा एवं आवेदन पत्र के आधार पर कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से एम0एड0 सत्र 2020-2021 में सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है -

1. नियमानुसार अर्जित अवकाश ही देय होंगे। अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा। अध्ययन पर होने वाला व्यय आशार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
2. डिग्री यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक है। इसकी सुनिश्चिता की जिम्मेदारी कार्मिक स्वयं की होगी।
3. विद्यालय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने अथवा शाला प्रधान एवं नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिकूल अभिमत करने पर यह अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज0विज्ञान/परीक्षा अनुज्ञा/2018-19

दिनांक : 14.10.2019

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित संगुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक)।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि नोहर, हनुमानगढ को तत्काल पालनार्थ।
5. संबंधित कार्मिक।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर